न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 91/2016

श्री अनवर खान पुत्र श्री रामा जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मगना पुत्र श्री नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजगढ़ मगरा, देवपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद।
3. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर।

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सीताराम रावत, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 26.04.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील नसीराबाद के राजस्व ग्राम भीमपुरा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 92 में अंकित खसरा नम्बर 830 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि के रेकार्डेड खातेदार श्री रामा पुत्र श्री काना जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील नसीराबाद द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1981 से श्री मगना पुत्र श्री नाथू जाति गुर्जर के पक्ष में विक्रय कर दिये जाने पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अजमेर द्वारा विक्रयशुद्वा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 238 दिनांक 21.08.1985 से क्रेता के पक्ष में स्वीकृत कर दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 238 दिनांक 21.08.1985 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा रेस्पोन्डेन्टस के नाम नोटिस जारी किए गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित हुए। मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट में अपील में उठाये गये तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट के पिता श्री रामा पुत्र श्री जोरा विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा पूर्व में भी थे, जिनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा नम्बर 84 जिसके वर्तमान तरमीमी खसरा नम्बर 100 बने है, रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि श्री रामा पुत्र श्री काना को विक्रय की गई थी। उपरोक्त विक्रय पत्र के अनुसार खसरा नम्बर 84 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन खसरा नम्बर 219 व 220 बनते है जिसके हाल आधारभूत खसरा नम्बर 237 व 238 बनते है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किये ही नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 26.10.1971 से श्री रामा पुत्र श्री काना के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया तत्पश्चात् श्री रामा पुत्र श्री काना द्वारा एक पंजीकृत विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 30.07.1981 को पंजीबद्व करवाया गया। उक्त विक्रय पत्र अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा विक्रेता श्री रामा पुत्र श्री काना से खसरा नम्बर 498 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा क्रय किया गया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उक्त क्रयशुद्वा भूमि का आक्षपीय नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जिसमें क्रयशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 498 के स्थान पर अपीलान्ट के पिता श्री रामा पुत्र श्री जोरा की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 830 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि क्रय ही नहीं की गई थी। उन्होंने आगे कथन किया कि श्री रामा पुत्र श्री काना द्वारा खसरा नम्बर 498 का विक्रय किया गया था तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को खसरा नम्बर 498 का ही नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार था, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलान्ट के पिता की खातेदारी भूमि को जरिये आक्षेपीय नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है। उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के पिता अथवा परिवार के किसी सदस्य को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि वकील अपीलान्ट द्वारा समस्त कथन आधारहीन है। उनका कथन है कि विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार श्री रामा पुत्र श्री काना द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1981 से अप्रार्थी को विक्रय कर विवादित भूमि को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए वर्किंग जमाबंदी में नियमानुसार खातेदारी कर दी गई तथा अप्रार्थी संख्या 1 आज भी विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। उन्होंने आगे कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 105 व 106 श्री रामा पुत्र श्री जोरा के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था, किन्तु श्री जोरा की मृत्यु पश्चात् विधि विरूद्व श्री रामा पुत्र श्री काना के नाम दर्ज कर दिया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित नामान्तरकरण श्री रामा पुत्र श्री काना के नाम से ही पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है जो न्यायोचित है। इसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है तथा रेकार्डेड खातेदार द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है। उन्होंने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि बाबत् एक नियमित राजस्व वाद संख्या 117/2015 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष विचाराधीन है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पिता श्री रामा पुत्र श्री जोरा के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.08.1974 से स्वयं की कृषि भूमि खसरा नम्बर 84 वर्तमान तरमीमी खसरा नम्बर 100 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय किया गया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रेकार्ड का अवलोकन किये खसरा नम्बर 84 तरमीमी खसरा नम्बर 100 के स्थान पर खसरा नम्बर 830 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जो विधि विरूद्व है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत समस्त कथन तर्कहीन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में आधारहीन है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 238 दिनांक 21.08.1985 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर राजस्व रेकार्ड का भलिभांति अवलोकन कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 26.04.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अपर अजमेर

Scanned by CamScanner